

2996/2008
28/11/08

10

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, सिवनी

कमांक-पु0310/सिवनी/सीसी/शिपु/भाग-4/81-ए/08
प्रति,

दिनांक 2) - 11-2008

सहायक निदेशक
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
छठी मंजिल, "बी" विंग लोक नायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली - 110003।

विषय :-

कन्या छात्रावास भिलाई विकास खण्ड घंसीर, जिलस सिवनी में छात्राओं के साथ अत्याचार के संबंध में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से प्राप्त अभ्यावेदन की जांच के संबंध में।
आपका फाईल नंबर -- जी0जी0पी0/एम0पी0-7/एट्रोसिटी/729/08/आरयू-111 दिनांक 9.09.08।

S.P.O. संदर्भ:-

-0-

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, आवेदन पत्र की जांच उप पुलिस अधीक्षक अजाक0 सिवनी से कराई गई। जांच के दौरान कन्या छात्रावास के छात्राएं कु0 अजना, कु0 गोमती, कु0 यशोदा, कपूरा, गौरा एवं अन्य छात्राओं से पूछताछ कर कथन लिये गये। उपरोक्त सभी ने अपने-अपने कथनों में आश्रम के शानसिंह राजपूत एवं मंगलू द्वारा किसी भी प्रकार का अत्याचार, दुष्कृत्य व शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना देना नहीं बताये। वर्ष 2007-08 का दाखिला खारिज पंजी देखी गई जिसमें 2 छात्राएँ कु0 कृष्ण कुशराम एवं अनीता पाल अपनी स्वेच्छा से मण्डला में साइन्स विषय पढ़ने के लिये छात्रावास से नाम कटवा कर गई थी। छात्राओं के कथन लिये गये जिन्होंने बताये कि भिलाई उच्च0 माध्यमिक विद्यालय में साइन्स विषय नहीं होने से छात्रावास से नाम कटवाकर मण्डला गई थी परन्तु लेट हो जाने के कारण मण्डला में नाम नहीं लिखने से पुनः भिलाई उच्च0 माध्यमिक विद्यालय में नाम लिखवाकर रोजाना घर से स्कूल आना जाना करती हैं। उक्त छात्राओं ने अपने कथनों में कन्या छात्रावास के कर्मचारी शानसिंह राजपूत एवं मंगलू चकवर्ती के विरुद्ध किसी भी प्रकार की दुष्कृत्य/अत्याचार करने की शिकायत करना नहीं बताई। उपरोक्त छात्राओं के अभिभावकों से पूछताछ कर कथन लिये गये जिन्होंने कन्या छात्रावास के कर्मचारियों के द्वारा किसी प्रकार की अत्याचार/प्रताड़ना देना नहीं बताये। छात्रावास के आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई जिन्होंने छात्रावास के कर्मचारी एवं अधिका के संबंध में किसी भी प्रकार की परेशानी व शिकायत सुनना नहीं बताये।


भिलाई कन्या छात्रावास की अधिका श्रीमति अरुणा राजपूत और कर्मचारी चौकीदार शानसिंह, मंगलू, रमेश, आशा बाई रसोईया से पूछताछ कर कथन लिये गये जिन्होंने अपने कथनों में बताया कि कन्या छात्रावास व आश्रम में कुल 101 छात्राएँ रहकर अध्ययनरत हैं। वर्ष 2007-08 में 2 छात्राएँ कु0 कृष्णा कुशवाह एवं अनीता पाल ने भिलाई उच्च0 माध्यमिक विद्यालय में साइन्स विषय न होने से छात्रावास से नाम कटवाकर मण्डला चली गई थी जो मण्डला में एडमीशन नहीं होने से पुनः भिलाई उच्च0 माध्यमिक विद्यालय में नाम लिखवा कर घर से आना जाना करती हैं। भिलाई पुनः भिलाई उच्च0 माध्यमिक विद्यालय में नाम लिखवा कर घर से आना जाना करती हैं। भिलाई बालक छात्रावास में भूलन डहेरिया रसोईया हैं तथा उसकी पत्नि लक्ष्मी बाई कन्या छात्रावास में रसोईया हैं। लक्ष्मी बाई छात्रावास से अधिकतर अनुपस्थित रहती हैं छात्रावास की अधिका के द्वारा अनुपस्थिति रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाती है जिससे वह नाराज रहती हैं वह 31 भूलाई 2008 से छात्रावास से अनुपस्थित हैं तथा उसके पति भूलन भी बालक छात्रावास से दिनांक 17.10.08 से अनुपस्थित है। भूलन एवं उसकी पत्नि लक्ष्मी बाई अधिका एवं अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत करने की आदी हैं।

ग्राम भिलाई में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता सदस्य नहीं है घंसीर में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सदस्य मनोज टेकाम, नरेश मरावी, रामप्रसाद करयाम आदी से आवेदन पत्र के संबंध में पूछताछ किया गया जिन्होंने इस प्रकार के आवेदन पत्र देने से अनभिज्ञता जाहिर किये हैं पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता विमान, सुभा, हनुमन्त में व्यस्त होने से उपलब्ध नहीं हैं। शिकायत जांच में भिलाई कन्या छात्रावास आश्रम के कर्मचारियों एवं अधिका के विरुद्ध छात्रावास की

(10)

छात्राओं पर प्रताड़ना, दुष्कृत्य करने जैसी कोई बात नहीं पाई गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि छात्रावास की कर्मचारी भूलन सिंह डहेरिया एवं उसकी पत्नि लक्ष्मी बाई ने अपने अनुपस्थिति छुपाने के लिए अधीक्षिका पर दबाव डालने की गरज से गुमनाम आवेदन पत्र झूठा दिया गया है। साक्ष्य के आभाव में आवेदन पत्र में लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये

कृपया जांच प्रतिवेदन मूल शिकायत के साथ आपके अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।
संलग्न:- मूल शिकायत


पुलिस अधीक्षक
सिवनी

पृष्ठांकन क्रमांक-पुअ/सिवनी/सीसी/शिपु/भाग-4/81-ए/08 दिनांक /11/2008
प्रतिलिपि:-

अनुसंधान अधिकारी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कमरा सं. 309 निर्माण सदन, सीजीओ, बिल्डिंग, 52-ए अरेरा हिल्स भोपाल को उनके पत्र क्रमांक-संस्था/3103/म.प./सिवनी/19/08 जी.आर. दिनांक 12.11.08 के संदर्भ में जांच प्रतिवेदन मूल शिकायत के साथ आपके अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

पुलिस अधीक्षक
सिवनी